न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 149/2023
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
देरावरसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला जोधपुर		1. भैरूसिंह पुत्र सांगसिंह फौत के कायम मुकाम 1/1 विजेन्द्रसिंह पुत्र भैरूसिंह 1/2 शम्भूसिंह पुत्र भैरूसिंह 1/3 मीर कंवर पत्नी भैरूसिंह 1/4 सायरकंवर पुत्री भैरूसिंह 2. गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी बारू 3. पार्वतीदेवी पत्नी धनराज जाति राजपूत निवासी कर्णपुर जिला गंगानगर 4. कपिल पुत्र आशाराम जाति माहेश्वरी निवासी छायण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थितः-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की और से
3. श्री राणीदानसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं 3 की और से

निर्णय

दिनांकः- 24/01/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। य[illegible] प्रार्थ[illegible] अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया [illegible] अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। नैसर्गिक [illegible]य के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थी की पैतृक खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा मौजा बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में स्थित है जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। जमाबंदी संवत 2078-2081 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी की उक्त पैतृक भूमि खेत खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा भूमि बंट आता है। उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पिता सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2 गोपालसिंह के 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। सांगसिंह पुत्र जोधसिंह फौत हो चुके है जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार से है :-

सांगसिंह पुत्र जोधसिंह (फौत)

भैरूसिंह पुत्र फौत | देरावरसिंह पुत्र

(भैरूसिंह की संतान:) विजेन्द्रसिंह पुत्र | शम्भुसिंह पुत्र | मीरकंवर पुत्र | सायरकंवर पुत्र

उपरोक्त वंशावली अनुसार सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के हिस्से की भूमि में सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के सभी वारिसान प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 का हक व हिस्सा बनता है और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है लेकिन जब सांगसिंह पुत्र जोधसिंह फौत हुवे तो अप्रार्थी सं. 1 ने पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थी से बाले-बाले मुतवफी सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 388 मौजा बारू अपने नाम से प्रार्थी को शामिल किये बगेर ही भरवा कर सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया। जबकि प्रार्थी भी सांगसिंह पुत्र जोधसिंह का जायन्दा पुत्र है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पैतृक 1/4 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 का कभी अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये प्रार्थी नामान्तरकरण संख्या 388 मौजा बारू को निरस्त करवा कर ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा भूमि में अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए अपने नाम दर्ज भूमि का आपसी सहमति का एक पारिवारिक बंटवाड़ा निष्पादित करवा दिया। उक्त बंटवाड़ा के तहत उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बीघा सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी सं. 2 के बंट में रखी जाकर पारिवारिक बंटवाड़ा का नामान्तरकरण सं. 757 मौजा बारू भरवा कर सरासर गलत एवं विधि तरीके से स्वीकृत करवा लिया जबकि उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अकेलों का कब्जा व काश्त नहीं रहा है इसलिये प्रार्थी नामान्तरकरण संख्या 757 मौजा बारू को निरस्त करवा कर ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा भूमि में अपने पैतृक 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 2 ने गलत राजस्व इन्द्राजात का फायदा उठाते हुए खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा में से 58-00 बीघा भूमि अपने हिस्से से अधिक भूमि का कागजी बैचान अप्रार्थी सं. 3 को कर दिया और उक्त कागजी बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 843 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं. 3 का खाता कर दिया जिसके खसरा नम्बर 1177/1 रकबा 9.3887 हैक्टेयर है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को बैचान के बाद शेष रही भूमि रकबा 57-02 बीघा भूमि का बैचान हरदेवी पत्नी रेवाशंकर को हिस्से से अधिक कागजी बैचान कर दिया दिया। उक्त कागजी बैचान के आधार पर हरदेवी के पक्ष में नामान्तरकरण सं. 844 मौजा बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। हरदेवी ने अपने नाम दर्ज भूमि का आगे अप्रार्थी सं. 4 को मात्र कागजी बैचान कर दिया उक्त कागजी बैचान आधार पर नामान्तरकरण सं. 2090 मौजा बारू अप्रार्थी सं. 4 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं. 4 का खाता अलग कायम कर दिया जिसके खसरा नम्बर 1177 रकबा 9.2430 हैक्टेयर है। जबकि खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है और न ही सम्पूर्ण भूमि में अप्रार्थी सं. 2 का हक व हिस्सा ही बनता है। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 व अन्य के पक्ष में किये गये बैचान शुरू से ही प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन है। इसलिये प्रार्थी उक्त पैतृक भूमि में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 843 व 844 मौजा बारू को निरस्त करवा कर ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा भूमि में अपने संयुक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है जिस पर प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पर अपनी अलग रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये प्रार्थी उक्त पैतृक भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से भरे गये नामान्तरकरण संख्या 388, 757, 843, 844 व 2090 मौजा बारू को निरस्त करवा कर ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा भूमि में अपने पैतृक संयुक्त 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ राह है। अभी दिनांक 25/06/2023 को प्रार्थी द्वारा अपने पैतृक हिस्से की भूमि की सार संभाल कर रहा था कि अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 आऐ और प्रार्थी को धमकी दी की उक्त भूमि वर्तमान में हमारे नाम दर्ज है इसलिये तुम उक्त भूमि को खाली करदो नहीं तो हम जोर जबरदस्ती तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देगें। उस दिन तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन जाते हुये अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 धमकी दे गये की हम आइन्दा पुनः आकर तुम्हे उक्त भूमि से बेदखल कर देगें। अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं की जा सकता है। प्रार्थी असमर्थ एवं निर्धन है जबकि अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 साधन सम्पन एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका सामना प्रार्थी नहीं कर सकता। इसलिये अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115-02 बीघा भूमि में प्रार्थी के अपने पैतृक हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण सं. 3 ता 4 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पे[illegible]

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की [illegible] प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 के इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 राजस्व ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नंबर 1177 व 1177/1 में मौके व राजस्व अभिलेख की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 3 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 4 की और से अधिवक्ता श्री राणीदानसिंह भाटी उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है
वादी पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होने के कथन गलत है न ही दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की कोई उम्मीद है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पैतृक खातेदारी अधिकारों की होना दस्तावेज के आधार पर कतई साबित नहीं है। अप्रार्थीया वादग्रस्त काश्त भूमि में 1/2 हिस्से की सद्भावी क्रेता है। अप्रार्थीया ने वादग्रस्त भूमि के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख से क्रय कर खाता अलग अलग कायम करवाकर निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 1177/1 का रकबा 9.3887 हैक्टेयर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 गोपालसिंह का 1/2 हिस्सा के कथन कर अप्रार्थी संख्या 1/2 हिस्सा होना के तथ्य स्वीकार किये है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के 1/2 की भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के क्रय कर खाता अलग कायम करवाकर मौका पर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि आपसी सहमति के विभाजन के अनुसार स्वीकृत नामान्तरण संख्या 757 अनुसार प्राप्त हुई है। खसरा नम्बर 1177 में से 1/2 हिस्सा भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को पूर्णतया सही विधिक प्रावधानों अनुसार पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये किया गया है। अप्रार्थी ने पारिवारिक समझोता के अन्तर्गत प्राप्त अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा का विक्रय अप्रार्थी को किया है। नामान्तरण संख्या 843 बारू अप्रार्थी के पक्ष में पूर्णतया विधि अनुसार स्वीकृत किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के अभिवचनों में भी अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा होने के तथ्य स्वीकार किए है। कागजी बेचान होने के तथ्य सरासर गलत है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय के पश्चात मौका पर कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थीया की तरमीम की जाकर राजस्व अभिलेखों में अलग खात कायम किया गया। प्रार्थना पत्र में ही अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा स्वीकार करने से अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किया गया पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही शून्य व प्रभावहीन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कतई कब्जा काश्त नहीं है प्रार्थी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 2 ने वादग्रस्त काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
[illegible] (फलोदी)

भूमि क्रय कर मौका पर क्रय से निरन्तर कब्जा काश्त 1/2 हिस्से पर चला आ रहा है। प्रार्थी नामान्तरण संख्या 843 को निरस्त करवाने का हकदार नहीं है। वादग्रस्त काश्त भूमि खसरा नम्बर 1177/1 पर अप्रार्थी का निरन्तर निर्बाध कब्जा काश्त क्रय से चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा काश्त होने तथा दिनांक 25.06.2023 को धमकी देने के तथ्य सरासर गलत है, आधारहीन व मिथ्या है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 गोपालसिंह के 1/2 हिस्सा की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा क्रय की गई है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के तथ्य भी सरासर गलत है। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने व कुठाराघात होने के तथ्य भी गलत है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है-

वादग्रस्त भूमि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115.02 बीघा भूमि वादग्रस्त भूमि नहीं है और न ही उक्त भूमि वादी की पैतृक सम्पति ही है। उक्त भूमि पूर्व में सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के 1/2 हिस्सा तथा गोपालसिंह के 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अवश्य दर्ज थी। सांगसिंह पुत्र जोधसिंह फौत हुवे तो अप्रार्थी संख्या 1 जो सांगसिंह की जायज वारिस है ने मुतवफी सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के फौतेदगी का नामान्तरण संख्या 388 मौजा बारू अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से भरा जाकर बाद जांच सर्वसम्मति से मजमें आम स्वीकार किया गया था। उक्त भूमि पर प्रार्थी का उक्त भूमि के किसी हिस्से पर कब्जा व काश्त नहीं है। इसलिये प्रार्थी नामान्तरण संख्या 388 मौजा बारू को निरस्त करवाने का कतई अधिकारी नहीं है और ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 1177 रकबा 115.02 बीघा भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि का विधिवत आपसी सहमति का एक पारिवारिक बंटवाड़ा निष्पादित करवाकर उक्त बंटवाड़ा के तहत उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1177 रकबा 115.02 बीघा सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के बंट में रखी जाकर पारिवारिक बंटवाड़ा का नामानतरण संख्या 757 मौजा बारू भरा जाकर विधिवत तरीके से स्वीकृत हुआ है। इसलिये उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी प्रार्थी [illegible] व काश्त नहीं रहा है और न ही वर्तमान में ही है। इसलिए प्रार्थी नामान्तरण [illegible] 757 मौजा बारू को निरस्त का अधिकार नहीं है। खसरा नम्बर 1177 रकबा 115.02 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा रकबा 57.02 बीघा भूमि का बेचान हरदेवी पत्नी रेवाशंकर को बेचान किया था उक्त बेचान के आधार पर हरदेवी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 844 मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फलोदी)

बारू भरा जाकर स्वीकृत हुआ है। हरदेवी ने अपने नाम दर्ज भूमि का आगे अप्रार्थी संख्या 4 को बेचान कर दिया और उक्त बेचान आधार पर नामान्तरण संख्या 2090 मौजा बारू अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बेचान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 का खाता अलग कायम कर दिया जिसके खसरा नम्बर 1177 रकबा 9.2430 हैक्टेयर है। अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में किया गया बेचान प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध शून्य व प्रभावहीन नहीं होने से प्रार्थी उक्त भूमि में भरे गये नामान्तरण संख्या 844 व 2090 मौजा बारू को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व काश्त नहीं है तो रहवासी ढाणी व पानी के टांके इत्यादि बनाने का सवाल ही पैदा नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा खरीद अनुसार अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर खरीद के दिन से आज दिन तक शांतिपूर्वक कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है और रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो [illegible] आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार [illegible] आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि [illegible] मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पत्रावली मे संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरण संख्या 388, 757, 843, 844, 2090 की चित्रप्रति, ग्राम बारू की जमाबंदी खाता संख्या 461, 105 सम्वत 2078-81, विक्रय पत्र दिनांक 25.03.1985 का अवलोकन किया गया कि जिन्होने पूर्ववर्ती खातेदारों से पंजीकृत विलेख द्वारा सप्रतिफल क्रय की है। वादग्रस्त भूमि व अन्य भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह और सांगसिंह पुत्र जोधसिंह के नाम दर्ज थी। सांगसिंह के फौतगी के पश्चात उक्त भूमि सांगसिंह का हिस्सा भैरूसिंह पुत्र सांगसिंह के नाम दर्ज हुआ। तदुपरान्त गोपालसिंह और भेरूसिंह के मध्य पारिवारिक बंट्वारे के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 757 वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1177 गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह के नाम दर्ज हुई। गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह ने इस भूमि में से 57.02 बीघा हरदेवी को व 58 बीघा अप्रार्थी संख्या 03 पार्वतीदेवी को बेचान किया। हरदेवी ने 57.02 बीघा का बेचान आगे अप्रार्थी संख्या 4 कपिल को किया एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 03 और 04 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है जिन्होने सप्रतिफल जरिये पंजीकृत विलेख द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामल पूर्ण रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से न्यायालय के अभिमत में अभिलिखित काश्तकारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

पत्रावली मे संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, नामान्तरण संख्या 388, 757, 843, 844, 2090 की चित्रप्रति, ग्राम बारू की जमाबंदी खाता संख्या 461, 105 सम्वत 2078-81, विक्रय पत्र दिनांक 25.03.1985 का अवलोकन किया गया। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 03 और 04 वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है जिन्होने सप्रतिफल जरिये पंजीकृत विलेख द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय किया है। यदि उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आबाजी के उपयोग-उपभोग, बैक ऋण और बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.07 14:25:39 IST
Reason: SelfAttested